फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

लीला शर्मा बनाम मुकेश वगै०

किस्म मुकदमा धारा प्रार्थना पत्र 39(1)(2)सीपीसी मुकदमा न0 126/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2022	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री भारत भूषण शर्मा एड0 के द्वारा पेश करने पर बाद रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अप्रार्थीगण प्रस्तुत तलवाने पर Reg. A.D. डाक से नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर की जावें। वकील प्रार्थी Reg. A.D. लिफाफा पेश करें। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र के विचारणीय बिन्दुओं पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि गत खसरा न0 226 रकबा 0.6000 है0 वाके मौजा ढ़ाणी चौहान के बाबत आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश 39 रूल 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित हो। मिसल आयन्दा वास्ते तलबी अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 21.10.2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	फाईल को आगे नही चलाना चाहते हैं। (नोट-प्रेस) [illegible]
21-10-22	[illegible] अधिकारी अवकाश/[illegible] पर है। मिसल आयन्दा दिनांक [illegible] 13/01/23 को पेश हो। रीडर	
3/11/22	पत्रावली पेश हुई। दावा नोट प्रेस में खारीज किया जा चुका है अतः प्रार्थना भी खारीज किया जाता है। पत्रावली केसल मुकाम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	

Scanned with Oken Scanner